प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 960 सन 2021
अनवान :–

1. गुडडी पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र शकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजबाला पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. चन्द्रकला पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सजना पत्नी हंसराज पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. अभिषेक नाबालिग पुत्र हसंराज जरिये संरक्षिका माता सजना पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. ज्योति पुत्री हसराज नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संजना पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 34/28 की कुल 4.3010हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति है जिसका देहान्त हो चुका है शंकरलाल पुत्र मामराज के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीया का पुत्र है प्रतिवादी संख्या 2 ,3 वादीया की पुत्री एवं शंकरलाल पुत्र मामराज की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 वादीया के पुत्र हंसराज के पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीया के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम से दर्ज भूमि को वादीाय के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की

वाद भूमि शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है जो उनके पूर्वज थे जिनका देहान्त हो चुका है शंकरलाल पुत्र मामराज के एक पुत्र हसराज का देहान्त हो गया है इसलिये शंकरलाल पुत्र मामराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हे जो वादी भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने माता वादीया के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीया के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 34/28 की कुल 4.3010हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वाद भूमि शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम से दर्ज है जो उनके पूर्वज थे जिनका देहान्त हो चुका है शंकरलाल पुत्र मामराज के एक पुत्र हसराज का देहान्त हो गया है इसलिये शंकरलाल पुत्र मामराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हे जो वादी भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अनुसार वादीया के कथनों की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 34/28 की कुल 4.3010हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट –फेफाना

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गुडडी पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 इन्द्राज पुत्र शकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. राजबाला पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
3. चन्द्रकला पुत्री शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. सजना पत्नी हंसराज पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर
5. अभिषेक नाबालिग पुत्र हसंराज जरिये संरक्षिका माता सजना पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. ज्योति पुत्री हसराज नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संजना पत्नी शंकरलाल जाति बावरी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 960 सन 2021 निर्णय दिनांक– 18.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 34/28 की कुल 4.3010हैक भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शंकरलाल पुत्र मामराज के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– फेफाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner